न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 45/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 13.04.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/116

राकेश बागडी पुत्र श्री पेमाराम, जाति—माली, निवासी—बर, तहसील— रायपुर,
वादी

बनाम

1. अणचीदेवी पत्नि श्री वनेसिंह, उम्र—व्यस्क,
2. कुन्दनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र—व्यस्क, .
3. छोगसिंह पुत्र श्री वनेसिंह, उम्र—व्यस्क,
4. जगदीश पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र—व्यस्क,
5. फेफीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र—व्यस्क,
6. सरदार सिंह पुत्र श्री दोलसिंह, उम्र—व्यस्क, समस्त प्रतिवादीगण जाति रावत निवासीगण रामगढ लक्की तालाब रायपुर जिला पाली राज.
7. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर जिला पाली (राज)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 13.01.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा लक्कीतालाब, पटवार हल्का रायपुर प्रथम, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, की जमाबन्दी सवत् 2073—2076 जमाबन्दी सवत् 2077 के खाता सं. 269 खसरा सं. 936 रक्बा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 940 रक्बा 1. 2060 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 941 रक्बा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 943 रक्बा 0.7365 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 944/1 रक्बा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खसरा सं. 962 रक्बा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 963 रक्बा 0.3318 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल वादी की शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073—2076, की प्रमाणित प्रति पेश किया जा रहा हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वर्णीत सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात मे वादी खातेदार काश्तदार दर्ज रेकर्ड था। जो वादी द्वारा खरीद सुदा भुमि है। वर्तमान मे वादी का सम्पुर्ण विवादित भुमि का 30/769 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादी खरीद दिंनाक से व प्रतिवादी अपने खातेदारी अधिकार से उक्त विवादित भुमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे एवं उन्होने उक्त भुमि पर रूपये खर्च कर उक्त भुमि को अधिक उपजाउ बनाया था। वादी ने खरीद दिनांक से उस कृषि भुमि पर काबिज होकर एवं प्रतिवादी अपने अपने दर्ज रेकर्ड हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। भुमि को उपजाउ बनाने हेतु बहूत रूप्ये खर्च किया है एवं खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं खरीद के समय मौखिक बटॅवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादी को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है जिस कारण वादी ने अपने—अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से की भूमि से अलग बंट करवाना चाहते है, जिससे वादी

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

को रहन लेने मे आसानी हो। जिस कारण वादी ने दिनांक 25/03/ 2022 को प्रतिवादी को बँटवाडा करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी ने बँटवाडा करने से मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं वादी का प्रतिवादीगण से अन्य प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद करते है उक्त विवादीत आराजियात मे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं होने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होते है तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रेकर्ड है। एवं वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बिच पुर्व मे मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी पर भी कब्जा करने कि नियत रखते है, जो कानुनन अपराध है जिससे प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्सा पर से बेदखल किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटाँ जावे । वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाया जावें एवं वादी को मौके पर पथ्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। चूंकि प्रतिवादीगण 1 से 6 उक्त विवादित भुमि मे राजस्व रेकर्ड अनुसार राह खातेदार होने से तथा प्रतिवादीगण सं 7 लैण्ड होल्डर होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाये गये हैं। वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार का पक्षकार बनाया है जो सरकारी कर्मचारी है जिनको कि वाद दायरी से पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादी वादी की आराजियात को बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का मुकदमा उनके हक में प्रथमदृष्टया सावित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विन्दु भी वादी के हक में है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम लक्की तालाब में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे है। सरहद मौजा लक्कीतालाब, पटवार हल्का रायपुर प्रथम, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073–2076 जमाबन्दी सवत् 2077 के खाता सं. 269 खसरा सं. 936 रक्बा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 940 रक्बा 1.2060 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 941 रक्बा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 943 रक्बा 0.7365 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 944/1 रक्बा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खसरा सं. 962 रक्बा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 963 रक्बा 0.3318 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल वादी की खातेदारी भुमि आई हुई है। जिसमे वादी का 30/769 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। शेष राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर सामलाती खाता अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादी को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। प्रतिवादीगण, तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की उक्त वाद पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु सहमत हैं। उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश जारी दिये गये।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2024/1706 दिनांक 12.09.2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा लक्की तालाब, पटवार हल्का रायपुर प्रथम, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, के खसरा सं. 936 रकबा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 940 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 941 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 943 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 944/1 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खसरा सं. 962 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 963 रकबा 0.3318 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राकेश बागडी पुत्र श्री पेमाराम, जाति–गाली, निवासी–बर, तहसील– रायपुर,

वादी

बनाम

1. अणचीदेवी पत्नि श्री वनेसिंह, उम्र–व्यस्क,
2. कुन्दनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र–व्यस्क,
3. छोगसिंह पुत्र श्री वनेसिंह, उम्र–व्यस्क,
4. जगदीश पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र–व्यस्क,
5. फेफीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह, उम्र–व्यस्क,
6. सरदार सिंह पुत्र श्री दोलसिंह, उम्र–व्यस्क, समस्त प्रतिवादीगण जाति रावत निवासीगण रामगढ़ लक्की तालाब रायपुर जिला पाली राज.
7. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर जिला पाली (राज)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा लक्की तालाब, पटवार हल्का रायपुर प्रथम, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, के खसरा सं. 936 रकबा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 940 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 941 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 943 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 944/1 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खसरा सं. 962 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 963 रकबा 0.3318 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुवलिक.............. ....वावत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक ....को अदा करे।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	.00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			वावत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		00	00
मीजान		12	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।